लाल बहादुर

लोकसुनवाई का वृत।

मेसर्स जय माता दी एंड माँ सीता कंस्ट्रक्शन, प्रो0–श्री संजय कुमार, पिता– श्री लाल बहादुर राय, ग्राम–खैरी, पोस्ट–पचपोखरी, थाना–बघैला, जिला–रोहतास द्वारा रोहतास सोन नदी स्थित "सैंड ब्लॉक–05" बालू घाट, मौजा–सबदला, पोस्ट–बिसुनपुर ब्लॉक–नासरीगंज, जिला–रोहतास के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 17.08.2023 को अपराहन 02:00 बजे अंचल कार्यालय नासरीगंज, जिला–रोहतास में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2329/2023, dated 24.03.2023 के आलोक में श्री अविनाश कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज, रोहतास, सासाराम (जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 17.08.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय नासरीगंज, जिला–रोहतास में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्‌देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शत्रुधन प्रसाद ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवर लोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र

में वृक्षारोपण (860 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतति करण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री अरूण कुमार, ग्राम–बाराडीह, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं एवं इस परियोजना में कितने मजदूरों को काम पर रखा जायेगा। इनके द्वारा ये भी पूछा गया कि इस परियोजना के तहत् कितने पेड़ लगाये जायेंगे और किस जगह लगाये जायेंगे एवं इनका रख–रखाव कौन करेगा, पानी का छिड़काव कौन करेगा। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। इस परियोजना के तहत् 195 लोगों को जरूरत पड़ेगी। इस परियोजना में गाँव के आस–पास 860 पेड़ लगाये जायेंगे, जो व्यक्ति अपने रैयत जमीन पर पेड़ लगाना चाहेंगे तो उनको संवेदक द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा। सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 02 बार किया जायेगा।
2.	श्री विमलेश प्रासाद सिंह, ग्राम–मेदनीपुर, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में कितने पेड़ लगाये जायेंगे एवं इनका रख–रखाव कौन करेगा। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 860 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ो की सुरझा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल

		रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख–रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा।
3.	श्री चन्द्रकांत कुमार मुन्ना, नासरीगंज, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के दौरान 195 लोगों को रोजगार दिया जायेगा, उनका सरकार द्वारा बीमा कराया जायेगा या नहीं। इनके द्वारा यह भी पूछा गया कि बालू खनन के दौरान परिवहन से रोड को क्षति पहुँचती है तो उनका रख–रखाव कौन करेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना सरकार का परियोजना है। इस परियोजना में सरकार का श्रम से संबंधित सारे गाईड–लाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बालू घाट से लेकर मुख्य मार्ग तक सड़क का मरम्मत संवेदक द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि लोक–सुनवाई के दौरान स्थानीय पुरूष के साथ महिला को भी भाग लेना चाहिए।

उनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, जिसमें जनहित में विकासात्मक कार्य होता है। अतः जनता को इस कार्य में अपेक्षित सहयोग करना चाहिए। स्थानीय लोगों ने खनन कार्य में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। संवेदक का प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अपनाकर प्रदूषण को कम–से–कम करने हेतु सुझाव दिया गया। संवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपायों का अनुपालन नहीं करने के स्थिति में ग्रामीण जनता अंचलाधिकारी, नासरीगंज को भी शिकायत कर सकती हैं। उनके द्वारा भी नियमानुकूल यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि नासरीगंज अंचल में बनने वाली सरकारी भवन निर्माण हेतु मुफ्त में बालू मिलना चाहिए।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

21-8-23   21/8/23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बिक्रमगंज, रोहतास

उपस्थिति सूचि

मेसर्स जय माता दी एंड माँ सीता कंस्ट्रक्शन, प्रो0—श्री संजय कुमार, द्वारा रोहतास सोन नदी स्थित "सैंड ब्लॉक—05" बालू घाट, मौजा—सबदला, ब्लॉक—नासरीगंज, जिला—रोहतास में आयोजित लोक—सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान—अंचल कार्यालय, नासरीगंज दिनांक 17.08.2023 समय—02:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	[illegible] कुमार सिंह	DCLR बिक्रमगंज	[illegible] 17/8/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	[illegible] पर्षद, पटना	[illegible] 17-8-23
3.	अमित कुमार	अंचलाधिकारी नासरीगंज	[illegible] 17/08/23
4.	कहकशा फिरदौस	खान निरीक्षक रोहतास, सासाराम	[illegible] 17-08-23
5.	Shatrughan Prasad	Ocean, Enviro	S. Prasad 17/08/2023.
6.			
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible] कुमार [illegible]	[illegible]	[illegible] कुमार
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible] कुमार	नासरीगंज	[illegible] कुमार
11	राजेन्द्र सिंह	[illegible]	[illegible] 17/8/23
12	[illegible]	नासरीगंज	[illegible] 17.8.023
13	विशाल कुमार	नासरीगंज	Vishal Ku. 17.8.23
14	चन्द्रकान्त कुमार	नासरीगंज	[illegible] 17/8/23
15	अमित कुमार सिंह	नासरीगंज	[illegible] 17/8/23

16	राम अवधेश सिंह	खुरसाँ	राम अवधेश सिंह
17	अंशु कुमार	नासरीगंज	[illegible]
18	राजू मेहता	नासरीगंज	Raju
19	प्रभात कुमार सिंह	नासरी गंज	प्रभात कुमार सिंह
20	कमलेश कुमार	नासरी गंज	[illegible]
21	संजय कुमार	नासरीगंज	संजय कुमार
22	जहाँगीर आलम	नासरीगंज	Jhangir Al
23	अवध बिहारी कुशवाहा	नासरीगंज	अवध बिहारी कुशवाहा
24	Amit Chaubey	Amiyawar	Amit Chaubey
25	Anil Kumar	Ramur	Anil Kumar
26	काशी नाथ सिंह	ईश्वरही	A Singh
27	Arvind Singh	Amiawale	Arvind Singh
28	कुन्दन कुमार	नासरीगंज	कुन्दन कुमार
29	पंकज कुमार	नासरीगंज	पंकज कुमार
30	Kundan Kumar.	Amiyawar.	Kumar
31	प्रफुल कुमार	अमियावर	प्रफुल
32	आशीष प्रकाश	नासरीगंज	Ashish Kumar
33	Rana Ajay	जमरूला	राणा अजय
34	राजीव कुमार	जमरूला	Rajiv Ku.